राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	947/2017 रेवतीरमण बनाम सत्यनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/10/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/10/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश 02/09/2014 पारित करते हुये आराजी खसरा नबर 30, 32, 33/1, 110/1 कुल किता 4 कुल रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा की वादग्रस्त भूमि का मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये व बैचान नही करने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26/10/2017 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अन्तरिम आदेश दिनांक 02/09/2014 का ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल वाद घोषणा का है, जिसका साक्ष्य सबूत के आधार पर निस्तारण होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है। ऐसे में यदि विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति को यदि कायम नही रखा गया तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर जटिलता बढना सम्भव है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुये विवादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने हेतु पारित अपीलाधीन आदेश उचित प्रतीत होता है, जिससे अपील के माध्यम से कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26/10/2017 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	